

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24/2023

अपीलांट-

बनाम

रेस्पोंडेंट-

सगतसिंह पुत्र हेमसिंह जाति
राजपूत निवासी करनपुरा, महाबा
तहसील व जिला बाड़मेर

1. कुशलसिंह पुत्र हेमसिंह
2. मलसिंह पुत्र हेमसिंह
3. जोगराजसिंह पुत्र हेमसिंह
4. अखसिंह पुत्र पूनमसिंह
5. देवीसिंह पुत्र पुनमसिंह
6. लेरों पत्नि हीरसिंह
7. मानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति
राजपूत निवासी करनपुरा, महाबार
तहसील व जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध
आदेश क्रमांक 927 दिनांक 26.05.2017 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित
किया।

उपस्थिति :-

1. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोंडेंट संख्या 8 प्रफॉर्मा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 22.04.2025

अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम करनपुरा
पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294, 301, 2199/299
कुल रकबा 291-15 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 26.05.2017
के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र
महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294, 301, 2199/299 कुल रकबा
291-15 भूमि के खातेदारान मानसिंह वल्द हुकमसिंह, सगतसिंह लसिंह
मलसिंह जोगराजसिंह पि0 हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, वल्द
पूनमसिंह, लेरों पत्नि हीरसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लोक




जिला कलक्टर
बाड़मेर

अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 4 व 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 1 से 7 की पैतृक खातेदारी मूल खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294, 301, 2199/299 कुल रकबा 291-15 बीघा भूमि मौजा करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उतरदाता संख्या 1 से 7 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक-पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट ने पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति दी। जिस पर दोनो पक्षों ने पटवारी हल्का से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार कहा तथा इसी अनुसार खेत में विभाजन लाईन डालकर विभाजन नक्शा व समझौता तैयार करने को कहा गया। जिस पर हल्का पटवारी ने वादग्रस्त खेत व पक्षकारान के कब्जा काश्त व बाहामी बंटवाडा के अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 5 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2017 में तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को तस्दीक कर भूमि का बंटवाडा कर दिया। उक्त कृषि जोत के विभाजन के संबंध में यह





जिला कलकटर
बाड़मेर

आवश्यक हैं कि भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दुओं को अनदेखा कर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा-काश्त में भारी भिन्नता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे व तरमीम के बारे में ज्ञान अपीलांट को तत्पय नहीं होने दिया तथा अरबा 20-25 दिन पूर्व उतरदातागण ने अपने खेत की नेखमबंदी की कार्यवाही के दौरान मौके पर पैमाईश करवाई गई तब उतरदाता द्वारा अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया गया। जिस पर अपीलांट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकॉर्ड की जांच करवाई तो मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का बंटवाडा व तरमीम नहीं करवाने की जानकारी दी। जिस पर अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 09.06.2023 को प्राप्त की तथा अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सदभाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र पेश हैं।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294, 301, 2199/299 कुल रकबा 291-15 भूमि के खातेदारान मानसिंह वल्द हुकमसिंह, संगतसिंह कुशलसिंह मलसिंह जोगराजसिंह पि0 हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, देवीसिंह वल्द पूनमसिंह, लेरों पत्नि हीरसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वयं की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017




जिला कलक्टर
बाड़मेर

में केम्प महाबार में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोंडेंट के कब्जे-काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 4 व 5 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294, 301, 2199/299 कुल रकबा 291-15 भूमि के खातेदारान मानसिंह वल्द हुकमसिंह, संगतसिंह कुशलसिंह मलसिंह जोगराजसिंह पि0 हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, देवीसिंह वल्द पूनमसिंह, लेरों पत्नि हीरसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का मयाद के बिन्दु पर कथन हैं कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपने खेत की नेखमबन्दी करवाई तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं साथ मयाद के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2019(1) पेज 7, आरआरटी 2008(1) पेज 1406, आरजेटी 2008 (2) पेज 1535, आरआरटी 2003(1) पेज 585, आरआरटी 2020(2) पेज 791 व आरआरटी 212(1) पेज 668 प्रस्तुत किये गये जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि विलम्ब की लम्बी समयावधि सारवान नहीं होकर विलम्ब का संतुष्टिपरक कारण होना आवश्यक हैं। इसके विपरित अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2015(1) आरआरटी पेज 232 व 2016(1)डीएनजे (राज) 201 प्रस्तुत कर प्रकट




जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया कि विलम्ब के प्रत्येक दिन का संतुष्टिपरक कारण दिया जाना आवश्यक हैं, जो हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा ठोस कारण प्रकट नहीं किया गया हैं अपितु अपीलाधीन आदेश उनकी उपस्थिति एवं सहमति से पारित हुआ हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील में धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र में अपीलांट की ओर से 6 वर्ष की लम्बी समयावधि का कोई ठोस एवं सत्यभाषी कारण प्रकट नहीं किये जाने से अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा गुणावगुण के सम्बन्ध में प्रकट किया कि दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार बाड़मेर ने इन अहम मुद्दों को अनदेखा कर विधिक भूल की है। जबकि अपीलांट के हिस्से में धोरे वाली जमीन अनपजाउ भूमि तथा उतरदाता संख्या 1 से 5 के हिस्से में समतल व उपजाउ भूमि रखी गई है। भूमि की उर्वरा किस्म का ध्यान नहीं रखा गया है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि के संबंध अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उतरदाता के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे उतरदाता के कब्जे में चले गये हैं, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश एकपक्षीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वयं की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 में केम्प महाबार में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेन्ट के कब्जे-काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर मयाद के संबंध में उल्लेखित कारण संतोषप्रद नहीं होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति





जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश के विरुद्ध 6 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।
9. निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर